

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2 केएसपी )

1. दीपशम पुत्र नोरंगराम जाति कुम्हार निवासी 16 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र नोरंगराम जाति कुम्हार निवासी 16 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी।
3. विजय सिंह पुत्र नोरंगराम जाति कुम्हार निवासी 16 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी।

- बनाम्  
नोरंगराम पुत्र खजानाराम जाति कुम्हार निवासी 16 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी।  
राजेश्वरी पत्नी बलवीर पुत्री नोरंगराम पुत्र नोरंगराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी  
बचनसिंह वाली तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।  
गीता पत्नी सुखराम पुत्री नोरंगराम जाति कुम्हार निवासी घोड़ावली तहसील रानियां  
जिला सिरसा।  
तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

-वादीगण

प्रकरण संख्या:-228 / 2018

-प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा:-88,53 आरटीए

निर्णय दिनांक:- 21.6.2018

वादी की ओर से श्री अब्दुल सत्तार जोईया एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से हरबन्शासिंह एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21.6.2018 को अम्मेदसिंह रतनू, उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि चक नं. 16 एसएलडब्ल्यू में कुल 2.2890 है. नहरी मय गैर मुमकिन तथा चक नं. 5 एजी के खाता संख्या 35/33 में कुल 0.6070 है कमाण्ड व चक नं. 3 केएसपी के खाता संख्या 43/43 में कुल 4.5540 है. नहरी मय गैर कृषि भूमि तथा चक नं. 1 एमजेडडब्ल्यू एसएम के खाता संख्या 22/7 में संयुक्त खाता में दर्ज 1.012 है. में से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज है में से निम्नानुसार वादीगण को आराजी प्राप्त हुई है:-

- (क)-वादी संख्या 1 दीपाराम को प्राप्त आराजी:- वाके चक नं. 3 केएसपी के प.नं. 180/313 कि.नं. 3,4,5,6,7,14,15
- (ख)-वादी संख्या 2 सुरेन्द्र कुमार को प्राप्त आराजी:- वाके चक नं. 3 केएसपी के प.नं. 180/313 कि.नं. 16,17,21,22,23,24,25
- (ग)-वादी संख्या 3 विजय कुमार को प्राप्त आराजी:- वाके चक नं. 15 एसएलडब्ल्यू के प.नं. 180/314 मु.नं. 2 कि.नं.1,11,20,21,प.नं. 182/316 मु.नं. 14 कि.नं. 10,प.नं. 180/316 मु.नं. 12 कि.नं. 21,22

चक नं. 5 एजी के खाता संख्या 35/33 में प्रतिवादी संख्या 1 की कुल 0.607 है. कमाण्ड भूमि तथा चक नं. 1 एमजेडडब्ल्यू एसएम के खाता संख्या 22/7 में संयुक्त खाता में अंकित 1.0120 है. में से प्रतिवादी नोरंगराम की 1/3 हिस्सा भूमि। उपरोक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता अलग से कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा चक नं. 5 एजी के खाता संख्या 35/33, चक नं. 1 एमजेडडब्ल्यू एसएम के खाता संख्या 22/7 तथा चक नं. 3 केएसपी के खाता संख्या 43/43 में से प्रतिवादी संख्या 1 नोरंगराम का नाम कलमजन तथा चक नं. 16 एसएलडब्ल्यू के खाता संख्या 58/53 में से प्रतिवादी संख्या 1 नोरंगराम का हिस्सा कम, शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का यथावत

के जाने के आदेश दिये जाते हैं। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति शक्ति पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना भुगतान करेंगे।

इस आज तारीख 21.6.2018 को राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत 2 केएसपी में जिला न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सुमोद सिंह रातव)  
 जिला न्यायाधीश,  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

खर्च के खाते  
 वादी

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	1100/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
अर्जी के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
प्लीडर की फीस	0	प्लीडर की फीस	0
साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
आदेशिका की तामील	0	आदेशिका की तामील	0
कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
जोड़	1100/-	जोड़	0

27/18

नोट: इस दिनांक 21.6.2018 में यह संवोधन किया जा रहा है कि वादी संख्या 3 विजयकिंद के हजान पर विजयकुमार व विजयकुमारी प्रायः द्वारा की गई चक्र 15 SLW के हजान पर 16 SLW विजयकिंदी मोक्ष यथावत रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक कलक्टर  
 टिब्बी